



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP32811891908334U
 Certificate Issued Date : 02 Jul 2022 04:27 PM
 Account Reference : NEWIMPACG (SY) up14246104/ AKBARPUR SADAR/UP-AMB
 Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1424610457460918432609U
 Purchased by : MAA SHANTI E T L P C K ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
 Description of Document : Article 35 Lease
 Property Description : GATA NO-353 MAUJA-PEETHAPUR TEH-AKBARPUR DISTT-AMBEDKAR NAGAR
 Consideration Price (Rs.) :
 First Party : DAYARAM VERMA M P K K C ABN M T RAM SHIROMANI VERM
 Second Party : MAA SHANTI E T L P C K ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
 Stamp Duty Paid By : MAA SHANTI E T L P C K ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
 Stamp Duty Amount(Rs.) : 9,000
 (Nine Thousand only)



Please verify the type below this link

Signature

Signature



0006033368

Statutory Alert:

1. The authenticity of the Document/Stamp created by means of above application for e-stamp (Stamp) Match: Any of BSNL/MTNL/Any other authority in the State of Uttar Pradesh and its territories on the multi-Party Mobile/PC based network.
 2. The user is placing the signature on the back of this certificate.
 3. In case of any discrepancy please contact the concerned authority.

4643/2022

(2)

लीज डीड (पट्टा विलेख) तीस वर्ष
लीज डीड 30 वर्ष मासिक किराया मु० 6,000/- रुपया वार्षिक किराया
मु० 72,000/- रुपया स्टाम्प कीमती मु० 9,000/-
ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP32811891308334U
सहित पन्ना 2 से 7 तक संलग्न है।



हम कि दयाराम वर्मा महाविद्यालय पीथापुर, कटेहरी, कुड़िया चितौना
अकबरपुर अम्बेडकरनगर द्वारा संचालित मॉ शान्ती एजुकेशनल ट्रस्ट
लखैचनपुर प्रतापपुर चमुखी, कटेहरी, अम्बेडकरनगर द्वारा
अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा पुत्र स्व० दयाराम वर्मा
निवासी ग्राम लखैचनपुर परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद

21/11/22



21/11/22



(3)

अम्बेडकरनगर आधार नम्बर XXXX XXXX 4926, मोबाइल नम्बर 9838127700, पैन नम्बर XXXXX8565C प्रथम पक्ष व माँ शान्ती एजुकेशनल ट्रस्ट, लखैचनपुर पोस्ट प्रतापपुर चमुर्खा, कटेहरी परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा पुत्र स्व० दयाराम वर्मा ग्राम लखैचनपुर, प्रतापपुर चमुर्खा परगना मिझौड़ा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर (उ०प्र०) आधार नम्बर XXXX XXXX 4926, मोबाइल नम्बर 9838127700, पैन नम्बर XXXXX8565C द्वितीय पक्ष विदित हो कि भूखण्ड संख्या 353 में अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 3350 वर्गमीटर जिसमें 2000 वर्गमीटर में शिक्षण कक्ष, प्रयोगशाला, हाल, प्रशासनिक भवन, शौचालय आदि निर्मित है।

जिसकी चौहद्दी -

| | |
|--------|------------------------------------------------------|
| पूरब | -कृषि भूमि दयाराम वर्मा शिक्षण प्रशिक्षण महाविद्यालय |
| पश्चिम | -खेत राम अकबाल |
| उत्तर | -खेत मुख्तार अहमद व अली हसन |
| दक्षिण | -सड़क श्रवण क्षेत्र से ग्राम कदनापुर सम्पर्क मार्ग |

राम शिरोमणि वर्मा



राम शिरोमणि वर्मा



जो स्थित ग्राम पीथापुर पोस्ट कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर चूकि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित दयाराम वर्मा कालेज आफ फार्मसी पीथापुर का निर्माण/संचालन एव शिक्षा के प्रचार-प्रसार हेतु भूमि की आवश्यकता है इसलिए अपनी आवश्यकताओं का जिक्र प्रथम पक्ष से किया और वे द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्त पर अपनी उपरोक्त अकृषिक भूखण्ड को मासिक किराये पर देने को तैयार हो गये। धारा-1-यह कि उक्त भूमि नगर पालिका बाहर है को मु० 6,000/- रूपया मासिक किराया तथा वार्षिक किराया मु० 72,000/- रूपया होता है में 30 वर्ष के लिए लीज पर देने के लिए तय पाया गया है। धारा-2-यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की पहली तारीख को अदा करता रहेगा और प्रथम पक्ष जरिये रसीद किराया प्राप्त करता रहेगा। धारा-3-यह कि प्रथम पक्ष अन्दर मियाद 30 वर्ष तक द्वितीय पक्ष के स्वत्व व अधिकार/अधिवास में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। धारा-4-यह कि वाद बीतने मियाद 30 वर्ष द्वितीय पक्ष लीजशुदा सम्पत्ति को यथावत प्रथम पक्ष के हवाले कर

रामेश्वरीनाथ



रामेश्वरीनाथ



(5)

देगा। धारा-5-यह कि द्वितीय पक्ष अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा उपरोक्त भूखण्ड जो नगर पालिका के बाहर है यदि उभय पक्ष सहमत होते हैं तो लीज की अवधि भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी किन्तु नवीनीकरण तभी मान्य होगा जब पक्षकारगण उचित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क अदा करके नवीन लीज विलेख पंजीकृत करार्येंगे, प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। धारा-6-यह कि इस लीज की वैधता 02.07.2022 ई0 से 01.07.2052 ई0 30 वर्ष तक विश्विमान्य रहेगी। धारा-7-यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष नियमित रूप से अदा करता रहेगा तथा किराया न देने अथवा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल में

राम शिरोमणि वर्मा



राम शिरोमणि वर्मा



(6)

व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होगा कि न्यायहित में वाद प्रस्तुत कर सकता है। धारा-8-यह कि किरायेदारी दयाराम वर्मा कालेज आफ फार्मसी पीथापुर कुड़िया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकर नगर के शिक्षा के प्रचार-प्रसार, निर्माण/संचालन करने हेतु रहेगा उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं हो रहा है जो बशकल आबादी है। अतएव पक्षकारों ने खूब समझ बूझ कर बिना किसी जोर दबाव के वार्षिक किराया मु० 72,000/- रूपया पर 6 गुना यानि मु० 4,32,000/- रूपया पर नगर पालिका बाहर होने के कारण से 2 प्रतिशत स्टाम्प

21 मई 2014



21 मई 2014



(7)

मु० ९,०००/- रूपया का अदा किया जा रहा है अतएव यह लीजडीड लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 02.07.2022 ई० टाइपकर्ता सन्तोष कुमार विश्वकर्मा, लेखपत्र तैयारकर्ता विनोद कुमार तिवारी दस्तावेज लेखक उपनिबन्धक कार्यालय अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उजरत नियमानुसार प्राप्त किया।

संजीव कुमार



राजेश्वरी तिवारी



संजीव कुमार श/० राजवहाड़ा वर्मा
शा००- अकबरपुर (महाराष्ट्र) अम्बेडकरनगर
९८३८६५५८६४

राजेश्वरी तिवारी श/० संजीव तिवारी
शा० अकबरपुर अम्बेडकरनगर
अम्बेडकरनगर
३६७०७४१०१०

दस्तावेज लेखक का नाम विनोद कुमार
अनुज्ञापिका संख्या ४/२०११ दि० ३१-५-२०२५
विभाजन तहसील अकबरपुर जिला-अम्बेडकरनगर
दस्तावेज लेखक का नाम विनोद कुमार

दिनांक २-७-२०२२

आवेदन सं०: 202200910005853

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 6606 के पृष्ठ 321 से 342 तक क्रमांक 4643 पर दिनांक 02/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

मो० सनजीम खां प्रभारी
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
02/07/2022

संख्या: 2022/00910005853
दिनांक: 02/07/2022
रजिस्ट्रार अकबरपुर जिला अमृतसर नगर
उत्तर प्रदेश

4598/2022



सत्यमेव जयते

INDIA NON JUDICIAL

Government of Uttar Pradesh



e-Stamp

Certificate No. : IN-UP31821139629979U
Certificate Issued Date : 01-Jul-2022 03:19 PM
Account Reference : NEWIMPACC (SV)/ up14246104/ AKBARPUR SADAR/ UP-AMB
Unique Doc. Reference : SUBIN-UPUP1424610455231199934608U
Purchased by : MAA SHANTI E T L AKB ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Description of Document : Article 35 Lease
Property Description : GATA NO-253 MAUJA-PITHAPUR KUDIYA CHITAUNA TEH-
 AKBARPUR DISTT-AMBEDKAR NAGAR
Consideration Price (Rs.) :
First Party : RAM AKBAL SO VIJAY BAHADUR
Second Party : MAA SHANTI E T L AKB ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Stamp Duty Paid By : MAA SHANTI E T L AKB ABN M T RAM SHIROMANI VERMA
Stamp Duty Amount(Rs.) : 7,300
 (Seven Thousand Three Hundred only)



Please write the type of document

राम अकबल सो विजय बाहदुर

राम शान्ति ए त ल अकब अ ब न म त राम शिरोमणि वर्मा

0006033366

Statutory Avert:

- The purchaser of this Stamp Certificate should be notified at www.eshampay.com or using a Stamp Mobile App of State e-Stamping Agency of the State Government and also notified on the website of the State e-Stamping Agency.
- The terms of the stamping the document is on the back of the certificate.
- The stamping the document should be notified to the Government Agency.

458 4598/2022

(2)

लीज डीड (पट्टा विलेख) तीस वर्ष से अनाधिकत
लीज डीड 30 वर्ष मासिक किराया मू0 5,000/- रूपया वार्षिक किराया
मू0 60,000/- रूपया स्टाम्प कीमती मू0 7300/-
ई-स्टाम्प प्रमाण पत्र संख्या IN-UP31821139(299790
सहित पन्ना 2 से 7 तक संलग्न है।

रामशिमोमणि वर्मा



रामशिमोमणि वर्मा



हम कि राम अकबाल पुत्र विजय बहादुर निवासी ग्राम पीथापुर
परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर हाल पता ग्राम
कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर
आधार नम्बर XXXX XXXX 5934, मोबाइल नम्बर 7379019857,
पैन नहीं है प्रथम पक्ष वः मों शान्ती एजुकेशनल ट्रस्ट, लखैचनपुर
परगना मिझौडा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर द्वारा
अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी रामशिमोमणि वर्मा पुत्र दयाराम वर्मा निवासी

रामशिमोमणि वर्मा



रामशिमोमणि वर्मा



(3)

ग्राम लखैचनपुर परगना मिर्जाडा तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर आधार नम्बर XXXX XXXX 4926, मोबाइल नम्बर 9838127700, पैन नम्बर XXXXX8565C द्वितीय पक्ष विदित हो कि भूखण्ड संख्या 353 में अपना सम्पूर्ण अंश रकबा 5880 वर्गमीटर जिसकी चौहद्दी पूरब दयाराम वर्मा महाविद्यालय व पश्चिम नाली बादहू चकमार्ग व उत्तर खेत मुक्तार आदि व दक्षिण पक्की सड़क ग्राम कदनापुर को जाने वाली जो स्थित ग्राम पीथापुर पोस्ट कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर चूकि द्वितीय पक्ष को उपरोक्त वर्णित दयाराम वर्मा कालेज आफ फार्मसी पीथापुर कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर के खेल कूद मैदान हेतु भूमि की आवश्यकता है इसलिए अपनी आवश्यकताओं का जिक्र प्रथम पक्ष से किया और वे द्वितीय पक्ष को निम्नलिखित शर्त पर अपनी उपरोक्त अकृषिक भूखण्ड को

राम नारायण सिंह



रामाश्रीमणि



(4)

मासिक किराये पर देने को तैयार हो गये। धारा-1-यह कि उक्त भूमि नगर पालिका बाहर है को मु0 5,000/- रूपया मासिक किराया तथा वार्षिक किराया मु0 60,000/- रूपया होता है में 30 वर्ष से अनाधिकत के लिए लीज पर देने के लिए तय पाया गया है। धारा-2-यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष प्रत्येक माह की पहली तारीख को अदा करता रहेगा और प्रथम पक्ष जरिये रसीद किराया प्राप्त करता रहेगा। धारा-3-यह कि प्रथम पक्ष अन्दर मियाद 30 वर्ष तक द्वितीय पक्ष के स्वत्व व अधिकार/अधिवास में किसी प्रकार का कोई व्यवधान पैदा नहीं करेगा। धारा-4-यह कि वाद बीतने मियाद 30 वर्ष द्वितीय पक्ष लीजशुदा सम्पत्ति को यथावत प्रथम पक्ष के हवाले कर देगा। धारा-5-यह कि द्वितीय पक्ष अध्यक्ष/मैनेजिंग ट्रस्टी राम शिरोमणि वर्मा उपरोक्त मूखण्ड जो नगर पालिका के बाहर है यदि उभय पक्ष

राम शिरोमणि वर्मा

राम शिरोमणि वर्मा



(5)

सहमत होते हैं तो लीज की अवधि भविष्य में बढ़ाई जा सकेगी किन्तु नवीनीकरण तभी मान्य होगा जब पक्षकारगण उचित स्टाम्प शुल्क व निबन्धन शुल्क अदा करके नवीन लीज विलेख पंजीकृत करार्येंगे, प्रथम पक्ष को कोई एतराज नहीं होगा। धारा-6-यह कि इस लीज की वैधता 01.07.2022 ई0 से 30.06.2052 ई0 30 वर्ष तक विधिमान्य रहेगी। धारा-7-यह कि तयशुदा मासिक किराया द्वितीय पक्ष नियमित रूप से अदा करता रहेगा तथा किराया न देने अथवा प्रथम पक्ष द्वारा द्वितीय पक्ष के कब्जा व दखल में व्यवधान उत्पन्न करने की स्थिति में पीड़ित पक्ष को यह अधिकार होगा कि न्यायहित में वाद प्रस्तुत कर सकता है। धारा-8-यह कि किरायेदारी दयाराम

राम मन्माल सिंह



रामाश्रीमणि



(6)

वर्मा कालेज आफ फार्मसी पीथापुर कुडिया चितौना परगना व तहसील अकबरपुर अम्बेडकरनगर के खेल कूद मैदान हेतु रहेगा उपरोक्त आराजी में कृषि कार्य नहीं हो रहा है जो बशकल आबादी है। अतएव पक्षकारों ने खूब समझ बूझ कर बिना किसी जोर दबाव के वार्षिक किराया मु० 60,000/- रूपया पर 6 गुना यानि मु० 3,60,000/- रूपया पर नगर पालिका बाहर होने के कारण से 2 प्रतिशत स्टाम्प मु० 7300/- रूपया का अदा किया जा रहा है

रामचन्द्राणी ए



रामचन्द्राणी ए



अतएव यह लीजडीड लिख दिया कि प्रमाण रहे और समय पर काम आवे। इति दिनांक 01.07.2022 ई0 टाइपकर्ता सन्तोष कुमार व लेखपत्र तैयारकर्ता विनोद कुमार तिवारी दस्तावेज लेखक उपनिबन्धक कार्यालय अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर उजरत नियमानुसार प्राप्त किया।

सन्तोष कुमार टाइप



विनोद कुमार तिवारी



सन्तोष कुमार टाइप
अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

विनोद कुमार तिवारी
अकबरपुर जनपद अम्बेडकरनगर

दस्तावेज लेखक का नाम विनोद कुमार
अनुमति संख्या 4/2011 दि० 31-3-2024
विद्यमान तहसील अकबरपुर जिला-अम्बेडकरनगर
परिष्कार संख्या 1/2022 दि० 01-7-2022
दस्तावेज लेखक दिनांक 1-7-2022

आवेदन सं०: 202200910005809

संख्या जिल्द संख्या 6605 के पृष्ठ 155 से 178 तक क्रमांक 4898 पर दिनांक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।



रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

जगदीश शुकल
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
01/07/2022

आवेदन सं०: 202200910005809
जिल्द संख्या 6605 के पृष्ठ 155 से 178 तक क्रमांक 4898 पर दिनांक 01/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।
जगदीश शुकल
उप निबंधक : सदर
अंबेडकर नगर
01/07/2022